मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 163] भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 मार्च 2010—चैत्र 1, शक 1932

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2010

क्र. 6718-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-64 के उपबन्धों के पालन में, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 9 सन् 2010) जो विधान सभा में दिनांक 22 मार्च 2010 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक ९ सन् २०१०

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, २०१०.

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा २ का संशोधन.
३. धारा १०-क का स्थापन.
४. धारा २० का संशोधन.
५. धारा २०-क का संशोधन.
६. धारा ३९ का संशोधन.
७. धारा ४२ का संशोधन.
८. धारा ७१ का संशोधन.
९. अनुसूची-१ का संशोधन.
१०. अनुसूची-२ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक ९ सन् २०१०.

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, २०१०.

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०१० है.

(२) (क) इस संशोधन अधिनियम की धारा २ के खण्ड (दो) और धारा ३ के उपबंध १ अगस्त, २००९ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे; और

(ख) इस संशोधन अधिनियम के शेष उपबंध इस अधिनियम के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में,—

(एक) खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ज क) "पका हुआ भोजन" से अभिप्रेत है होटलों, रेस्तरां और इनके सदृश द्वारा तैयार किया गया तथा परोसा गया भोजन, जिसमें तैयार चाय और तैयार काफी सम्मिलित हैं;";

(दो) खण्ड (प) के स्पष्टीकरण के खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(घ) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जब किसी व्यापारी की किसी इकाई से उसी व्यापारी की अन्य इकाई को, अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट माल का ऐसी इकाई में विक्रय हेतु या अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण में / के लिए उपभोग या उपयोग के लिए अंतरण किया जाता है और वह व्यापारी ऐसी प्रत्येक इकाई के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारण करता है, तो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, दो स्वतंत्र विक्रय या क्रय हुए समझे जाएंगे.".

धारा १०-क का स्थापन.

३. मूल अधिनियम की धारा १०-क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

कतिपय माल पर क्रय कर का उद्ग्रहण.

"१०-क. (१) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रत्येक व्यापारी, जो अपने कारबार के अनुक्रम में ऐसे माल का क्रय करता है जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, अधिसूचित माल के क्रय मूल्य पर चार प्रतिशत की दर से कर के भुगतान के दायित्वाधीन होगा:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसे माल के क्रय पर कोई कर देय नहीं होगा, यदि माल का उपभोग राज्य के भीतर विनिर्माण की ऐसी प्रक्रिया में किया गया है जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए.

(२) इस धारा के अधीन किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से किए गए क्रयों के संबंध में, जिसके द्वारा इस धारा के अधीन कोई कर देय है और जिसने विक्रय बिल पर यह विवरण देते हुए घोषणा की है कि ऐसे माल पर उसके द्वारा इस धारा के अधीन कर देय है, कोई कर उद्‌गृहीत नहीं किया जाएगा.

(३) इस धारा के अधीन किसी ऐसे व्यापारी के संबंध में, उस तारीख से, जिसको कि अधिसूचित माल के क्रय मूल्य का योग, एक वर्ष में पहली बार में पांच करोड़ रुपए से अधिक हो जाता है, कर उद्‌गृहीत किया जाएगा:

परन्तु अधिसूचित माल के निम्नलिखित क्रय मूल्यों को इस धारा के अधीन कर का दायित्व निर्धारण करने के लिए क्रय मूल्यों के योग में सम्मिलित नहीं किया जाएगा:—

(एक) राज्य के बाहर से क्रय किए गए अधिसूचित माल का क्रय मूल्य;

(दो) ऐसे अधिसूचित माल के क्रय मूल्य जिनका उपधारा (६) के अधीन घोषणा पर विक्रय किया गया हो;

(तीन) ऐसे अधिसूचित माल का क्रय मूल्य जिनका कि उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना की तारीख के पूर्व क्रय किया गया हो;

(चार) ऐसे अधिसूचित माल का क्रय मूल्य जिनका कि उपधारा (१) के परन्तुक के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनिर्माण की प्रक्रिया में क्रय के पश्चात् उपभोग किया गया हो.

(४) प्रत्येक व्यापारी, जो उपधारा (१) के अधीन कर के भुगतान के दायित्वाधीन है, लगातार उन दो वर्षों के अवसान होने तक ऐसा दायी बना रहेगा, जिनके कि दौरान अधिसूचित माल के क्रय मूल्यों का कुल योग उपधारा (३) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होता है और ऐसी कालावधि का अवसान होने पर, इस धारा के अधीन, उसका कर के भुगतान का दायित्व समाप्त हो जाएगा.

(५) प्रत्येक व्यापारी जो उपधारा (१) के परन्तुक के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनिर्माण में लगा हुआ है, विहित प्राधिकारी से, विहित रीति में, मान्यता प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करेगा.

(६) यदि कोई व्यापारी, जो इस धारा के अधीन कर के भुगतान का दायी है, किसी ऐसे व्यापारी को अधिसूचित माल का विक्रय करता है, जो कि ऐसी रीति एवं प्ररूप में, जैसी कि विहित की जाए, जारी घोषणा पर मान्यता प्रमाण-पत्र रखता है तो वह विक्रयकर्ता व्यापारी विक्रय किए गए माल के क्रय मूल्य की कटौती का दावा करने का हकदार होगा और ऐसा क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्यों के योग में सम्मिलित नहीं किया जाएगा.

(७) यदि मान्यता प्रमाण-पत्र धारण करने वाला व्यापारी अधिसूचित माल का क्रय करता है, और ऐसे माल का उपधारा (१) के परन्तुक में यथाविनिर्दिष्ट विनिर्माण में उपयोग करने के स्थान पर, ऐसे माल किसी अन्य रीति में विक्रय करता है अथवा उसका निपटारा करता है, तो वह उस माल के क्रय मूल्य पर ४ प्रतिशत की दर से कर के भुगतान का दायी होगा.

(८) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस धारा के अधीन, किन्हीं ऐसे संव्यवहारों को, जिन्हें कि वह उचित समझे, उतनी कालावधि के लिए जितनी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, कर के भुगतान से चाहे भूतलक्षी प्रभाव से या भविष्यलक्षी प्रभाव से छूट प्रदान कर सकेगी.''.

धारा २० का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा २० में, उपधारा (४) में, खण्ड (क) में, शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर ''धारा २०-क की उपधारा (१) के अधीन'' के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर ''धारा २०-क की उपधारा (१) और (१-क) के अधीन'' स्थापित किए जाएं.

धारा २०-क का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा २०-क में,—

(एक) उपधारा (१) में, परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परन्तु यह और कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, खण्ड (क) में यथाविनिर्दिष्ट विवरणियां/पुनरीक्षित विवरणियां प्रस्तुत करने की तारीख, ०.५ प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज के साथ, जो कि धारा १८ की उपधारा (४) के खण्ड (क) के उपबंध के अनुसार देय ब्याज के अतिरिक्त होगा, बढ़ा सकेगी.";

(दो) उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(२) उपधारा (१) और (१-क) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, आयुक्त, उतनी संख्या में ऐसे व्यापारियों का, पुन: निर्धारण के लिए चयन करेगा, जैसा कि वह उचित समझे, जिनका निर्धारण किसी वर्ष के लिए धारा २० की उपधारा (१) के अधीन, उपधारा (१) और (१-क) के उपबंधों के अनुसार किया गया समझा गया है और ऐसा चयन उक्त वर्ष के ठीक आगामी वर्ष के दौरान किया जाएगा.".

धारा ३९ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ३९ में, उपधारा (५) में, कोष्ठक और अंक "(१)" के स्थान पर, कोष्ठक और अंक "(२)" स्थापित किए जाएं.

धारा ४२ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा ४२ में, उपधारा (२) को उपधारा (३) के रूप में पुनर्क्रमांकित की जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपधारा (३) के पूर्व निम्नलिखित नई उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(२) आयुक्त धारा ४६ के अधीन किसी भी कार्यवाही या कार्यवाहियों के वर्ग को, धारा ३-क के अधीन नियुक्त किसी अपीली प्राधिकारी से किसी अन्य अपीली प्राधिकारी को अंतरित कर सकेगा और किसी ऐसी कार्यवाही या कार्यवाहियों के अंतरण के बारे में सूचना व्यापारी को भेजी जाएगी.".

धारा ७१ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा ७१ में उपधारा (२) में, खण्ड (ङ क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:-स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ङ ख) वह रीति जिसमें धारा १०-क की उपधारा (५) के अधीन मान्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाएगा तथा वह रीति तथा प्ररूप जिसमें धारा १०-क की उपधारा (६) के अधीन घोषणा जारी की जाएगी;".

अनुसूची-१ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की अनुसूची-१ में,—

(एक) अनुक्रमांक ७७ के सामने, कालम (२) में, शब्द "आटा चक्की" के स्थान पर, शब्द "आटा चक्की तथा उसके पुर्जे, जिसमें पाट सम्मिलित है" स्थापित किए जाएं;

(दो) अनुक्रमांक ८३ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

"८४.	ईसबगोल	
८५.	अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों के उत्पाद.	जब अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा विक्रय किया जाए और ऐसे उत्पादों का कुल वार्षिक टर्न ओवर पच्चीस लाख रुपए से कम हो.".

अनुसूची-२ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की अनुसूची-२ में,—

(एक) भाग-दो में,—

(क) अनुक्रमांक ७१ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

"७२.	पका हुआ भोजन	५";

(ख) अनुक्रमांक ७४ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

''७५. बुरादा

(दो) भाग-तीन में,—

(क) अनुक्रमांक ४, ६ और ७ के सामने, कालम (३) में, अंक ''१२.५'' के स्थान पर, अंक ''१३'' स्थापित किए जाएं.

(ख) अनुक्रमांक ९ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

''१०. पूंजीगत माल (प्लाट तथा मशीनरी और मोटरयान से भिन्न) जिन पर क्रय करते समय, अधिनियम के अधीन कर चुकाया गया हो और ऐसे क्रय पर कोई आगत कर रिबेट अनुज्ञेय न हो.

(तीन) भाग-चार में, कालम (३) में, अंक ''१२.५'' के स्थान पर, अंक ''१३'', स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विधान सभा में वर्ष २०१०-११ के लिये बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा दिये गये भाषण के भाग-दो में अंतर्विष्ट मूल्य वर्धित कर प्रस्तावों को क्रियान्वित करने, तथा कतिपय अन्य विषयों जैसे कि अन्तर-इकाई अन्तरण की दशा में आगत कर से छूट प्राप्त करने में होने वाली कठिनाई तथा कतिपय मालों पर क्रय कर से संबंधित प्रावधानों का युक्तियुक्तकरण करने के लिए मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) में समुचित संशोधन किए जाना प्रस्तावित हैं. कतिपय अन्य प्रावधानों का युक्तियुक्तकरण करने के लिए भी अवसर का लाभ ले लिया गया है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १५ मार्च, २०१०.

राघवजी
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, २०१० के जिन खण्डों द्वारा विधायनी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रहीं हैं उनका विवरण निम्नानुसार है:—

खण्ड-३ प्रस्तावित धारा १०-क की उपधारा (१) में व्यापारियों द्वारा क्रय किये जाने वाले माल को अधिसूचित किये जाने तथा माल के उपभोग के विनिर्माण की प्रक्रिया विहित किये जाने,

उपधारा (५) में माल का उपभोग राज्य के भीतर विनिर्माण करने की प्रक्रिया के संबंध में, प्राधिकारी एवं मान्यता प्रमाण-पत्र की रीति विहित किये जाने,

उपधारा (६) में अधिसूचित माल को विक्रय करने की रीति एवं प्ररूप विहित किये जाने,

उपधारा (८) में संव्याहारों को कर से छूट प्रदान किये जाने की समय-सीमा अधिसूचित किये जाने,

खण्ड-५ (एक) विवरणियां तथा पुनरीक्षित विवरणियां प्रस्तुत करने की तिथि में वृद्धि किये जाने,

खण्ड-८ (ङ ख) मान्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने तथा घोषणा का प्ररूप तथा रीति विहित किये जाने,

के संबंध में राज्य सरकार नियम बना सकेगी, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.